न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 08/2019 (अपील नामान्तरकरण)
GCMS No. 2019/00026

अनवान

1. श्रीमती वदन कुंवर पिता धुलसिंह राजपूत एवं पत्नी श्री सोहनसिंह राजपूत, निवासी चरमर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्री नारायण सिंह पिता धुलसिंह राजपूत, निवासी गुडेल, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
2. श्री उदयसिंह पिता धुलसिंह राजपूत, निवासी गुडेल, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती रतनकुंवर पिता धुलसिंह राजपूत पत्नी श्री किशनसिंह राजपूत, निवासी गुडेल, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती इन्द्रा कुंवर पिता धुलसिंह राजपूत एवं पत्नी श्री प्रतापसिंह राजपूत, निवासी दांतीसर, फला रामावत, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
5. श्रीमती भंवर कुंवर पत्नी धुलसिंह राजपूत, निवासी दांतीसर, फला रामावत, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री हर्षद जोशी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री भीमराज पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 5
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 1031 तहसीलदार सलुम्बर,

* निर्णय *

दिनांक– 06-11-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पूर्वाधिकारी श्री धुलसिंह पिता जीवनसिंह के खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि राजस्व ग्राम गुडेल, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर मे स्थित है, जिसमे ग्राम गुडेल की खाता संख्या 271 मे दर्ज आराजी नंबर 833, 835, 3799, 3800, 3802 से 3808, 3810 कुल किता 12 रकबा 7.1700 हेक्टेयर, खाता संख्या 272 मे दर्ज आराजी संख्या 853, 854, 965, 966, 970, 987, 991, 1013, 3821 से 3827 कुल किता 15 रकबा 4.0900 हेक्टेयर, खाता 275 मे दर्ज आराजी किता 3 रकबा 0.1900 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 708 मे दर्ज आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.12 17:42:10 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1015 रकबा 0.0200 हेक्टेयर भूमि सम्मिलित है। श्री धुलसिंह का स्वर्गवास दिनांक 23.04.2016 को होने के पश्चात नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल मे लायी गयी। कथित नामान्तरकरण कार्यवाही मे रेस्पोडेन्ट संख्या 5 जो धुलसिंह की द्वितीय पत्नि थी एवं उनके सहयोग से उत्पन्न रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई। श्री धुलसिंह की प्रथम पत्नि मेरी कुंवर का स्वर्गवास 35 वर्ष पूर्व हो चुका है जो अपीलान्ट की माता है। अपीलान्ट श्री धुलसिंह की प्रथम पत्नि से उत्पन्न विधिक वारिस पुत्री हो श्री धुलसिंह की सम्पत्ति मे अपीलान्ट का समान हक एवं हिस्सा निहित हैं। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को अपवंचित करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 5 के नाम पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा नामान्तरकरण खोला गया है, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रभाव मे आने के बाद अपीलार्थी पुत्री का भी शेष सहदायिक के बराबर हक व हिस्सा निहित होना चाहिये था। उक्त नामान्तरकरण मे अपीलान्ट को उनके विधिक हक से महरूम किया गया है। उक्त नमान्तरकरण वर्ष 2016 मे स्वीकृत किया गया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 31.07.2019 को हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 1031 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर मृतक श्री धुलसिंह पिता जीवनसिंह के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोला जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को आदेशित किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, व 5 की ओर से श्री भीमराज पटेल अधिवक्ता द्वारा वकालतपत्र पेश किया गया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई। शेष रेस्पोडेन्ट के नाम जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने से संलग्न पत्रावली किये गये। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, व 5 के अधिवक्ता द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम पर जबाव प्रस्तुत किया गया। प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 5 के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रकरण मे सर्वप्रथम धारा 5 मयाद अधिनियम पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। धारा 5 मयाद अधिनियम पर बहस प्रारंभ करते हुए अपीलान्ट अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1031 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने बाबत् अपील प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तरकरण के बारे मे जानकारी दिनांक 31.07.2019 को होते ही अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय मे 30.08.2019 को अपील पेश कर दी है। नामान्तरकरण की कार्यवाही मे अपीलान्ट पक्षकार न होने से उसे उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नही हो पायी। अतः न्यायहित मे धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कण्ड़ोन किया जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 5 के अधिवक्ता द्वारा बहस मे भाग लेते हुए अनुरोध किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गलत तथ्यों पर आधारित हैं। उक्त अपील नामान्तरकरण पारित होने के 3 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की है,

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.12 17:42:10 IST
Reason: SelfAttested

जो मयाद के बिंदु पर ही खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम खारिज किया जावें।

धारा 5 मयाद अधिनियम पर उभय पक्ष को सुनने एवं रेकर्ड के अवलोकन उपरान्त न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब अवधि कन्डोन किया जाना उचित समझते है। अतः मामले में अपीलान्ट का धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि कन्डोन की जाती है।

धारा 5 मयाद अधिनियम पर उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा उनके पूर्वाधिकारी श्री धुलसिंह की दिनांक 23.04.2016 को मृत्यु होना, अपीलान्ट का मृतक धुलसिंह की प्रथम पत्नि की पुत्री होना, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का मृतक धुलसिंह की द्वितीय पत्नि होना, श्री धुलसिंह की मृत्यु उपरान्त अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को अपवंचित कर मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 5 के पक्ष मे नामान्तरकरण खोला जाना अवगत कराया एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1031 को विधि विरूद्ध बताते हुये निरस्त करने की मांग की। अपीलान्ट द्वारा कुंकुम पत्रिका परिवारिक विवरण एवं ग्राम पंचायत गुडेल द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र संख्या 16/2020 प्रस्तुत किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 5 के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुये अपीलार्थी का कथन गलत बताया एवं अपीलान्ट का पूर्वाधिकारी श्री धुलसिंह की पूर्व पत्नि की पुत्री होना अस्वीकार किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, व 5 को ही मृतक श्री धुलसिंह का विधिक वारिस बताया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 5 के पक्ष मे खोले गये नामान्तरकरण मे किसी प्रकार की त्रुटि न होने से ऐसे नामान्तरकरण को यथावत रखने की मांग रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 5 के अधिवक्ता द्वारा की गई। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:–

- आर.आर.डी. 2019 पृष्ठ 266 से 269
- आर.बी.जे. (26) 2019 पृष्ठ 196 से 197
- आर.आर.डी. 2018 पृष्ठ 508 से 512
- आर.आर.डी. 2019 पृष्ठ 124 से 132

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रकरण मे धुलसिंह पिता जीवनसिंह की मृत्यु के उपरान्त सरपंच द्वारा प्रमाणित किये गये सजरे के आधार पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 5 के पक्ष मे उक्त नामान्तरकरण पारित किया जाना अवगत कराया।

हमने अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 5 एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, नामान्तरकरण संख्या 1031 की प्रति, न्यायिक दृष्टान्त आदि का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे वर्णित तथ्यो पर गंभीरता से मनन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.12 17:42:10 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 1031 की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि धुलसिंह पिता जीवनसिंह की मृत्यु के उपरान्त सरपंच द्वारा प्रमाणित किये गये सजरे के आधार पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 5 के पक्ष मे उक्त नामान्तरकरण पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी की प्रति, कुंकुम पत्रिका पारिवारिक विवरण, पंचायत सजरा प्रमाण पत्र संख्या 16/2020 के अनुसार अपीलान्ट के पिता का नाम धुलसिंह होना एवं मृतक श्री धुलसिंह की पूर्व पत्नि मेरी कुंवर की पुत्री होना प्रतीत होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण मे चस्पा नही होते है। ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा पारित उक्त नामान्तरकरण प्रथम दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होने से निरस्त कर पुनः जांच किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर मौजा गुडेल, तहसील सलुम्बर का अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 1031 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सलुम्बर को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रेक्षेणों को ध्यान मे रखते हुए उभय पक्ष को सुन कर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, मृतक धुलसिंह पिता जीवनसिंह के विधिक वारिसान की जांच कर नवीन सिरे नामान्तरकरण के संबध मे नियमानुसार विधि सम्मत नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.12 17:42:10 IST
Reason: SelfAttested